इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मई 2011—वैशाख 16, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-425-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज गोयल, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 11 से 23 अप्रैल 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री मनोज गोयल की अवकाश की अवधि में श्री सेवाराम, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पशुपालन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनोज गोयल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सेवाराम, पशु पालन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-632-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अनुपम राजन, आयएएस., संचालक, महिला एवं बाल विकास तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को दिनांक 5 से 15 अप्रैल 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 अप्रैल 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, महिला एवं बाल विकास तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-827-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री श्रीमन शुक्ला, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद को दिनांक 2 से 13 मई 2011 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 मई 2011 एवं 14, 15 मई 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री श्रीमन शुक्ला की अवकाश की अवधि में श्री ए. के.बाजपेई, अपर कलेक्टर, होशंगाबाद को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री श्रीमन शुक्ला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री श्रीमन शुक्ला द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. के. बाजपेई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री श्रीमन शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीमन शुक्ला, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. एफ. ए. 5-11-2011-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री आई. एस. श्रीवास्तव महोदय, उच्च न्यायालय, इन्दौर, खण्डपीठ, इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7-3-2011 से 11-3-2011 तक.	5 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश	अवकाश के पूर्व में दिनांक 5-3-2011 से दि. 6-3-2011 तक सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. ई-5-481-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री इकबाल सिंह बैंस, आयएएस., महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को), भोपाल को दिनांक 21 से 26 मार्च 2011 तक छः दिन का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री इकबाल सिंह बैंस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को), भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री इकबाल सिंह बैंस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इकबाल सिंह बैंस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2011

क्र. फा. 3(बी)1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र.-27).—राज्य शासन, श्री अतुल यादव पुत्र श्री पुरुषोत्तम यादव को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 25 अगस्त 1979 है.

क्र. फा. 3(बी)1-2010-इक्कीस-ब (एक).—(मेरिट क्र.-44).—राज्य शासन, श्री विजय चौहान पुत्र श्री गिरधारी लाल चौहान को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा में अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्द्वारा, नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इंदौर, मध्यप्रदेश है. उसकी जन्मतिथि 25 जुलाई 1975 है.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2011

क्र. 1691-इक्कीस-अ (स्था.).—राज्य शासन श्री जनार्दनस्वरूप दीक्षित, उप मुख्य ग्रंथपाल अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर (अटैच ग्वालियर) को मुख्य ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित पांच वर्ष की सेवा अवधि में शेष रही अवधि की सेवा में छूट प्रदान करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में मुख्य ग्रंथपाल (द्वितीय श्रेणी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रु. 9300-34800+ ग्रेड पे रु. 4200 में विधि विभाग, भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करता है.

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों, आदेशों का पालन किया गया है."

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

फा. क्र. 17(ई)19-2010-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी वेद प्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर की सेवाएं प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2011

फा. क्र. 6-1-10-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री विनोद भारद्वाज, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल की सेवायें वापिस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपी जाती हैं तथा उनके स्थान पर श्री अखिलेश पंड्या, विशेष न्यायाधीश, अनु.जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, विदिशा को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उनके द्वारा कार्यग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

फा. क्र. 17 (ई) 81-2005-इक्कीस-ब-(एक).— राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शम्भू सिंह रघुवंशी की सेवाएं, एतद्द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 7,10,13 और 30 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची

अनु-क्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"7.	सेशन न्यायाधीश, भिण्ड	भिण्ड
10.	सेशन न्यायाधीश, छतरपुर	छतरपुर
13.	सेशन न्यायाधीश, दतिया	दतिया
30.	सेशन न्यायाधीश, नीमच	नीमच.".

F. No.-1-1-88-XXI-B(1).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), dated the 24th October 2009 which was

published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 6th Number, 2009 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Schedule, for serial number 7,10,13 and 30 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating therreto shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Sl. No.	Sessions Judges/ Additional Sessions Judges	Local area
(1)	(2)	(3)
"7.	Sessions Judsge, Bhind	Bhind
10.	Sessions Judsge, Chhatarpur	Chhatarpur
13.	Sessions Judsge, Datia	Datia
30.	Sessions Judsge, Neemuch	Neemuch.".

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2011

फा. क्र. 17 (ई) 515-2008-इक्कीस-ब-(दो).—मध्यप्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1996 के नियम 3(2) के खण्ड (जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री जे. के. जैन, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीहोर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है.

F. No.-17-(E) 515-2008-XXI-B (Two).— In exercise of the power conferred by clause (j) of rule 3(2) of the Legal services Authorities, Act, 1996 the State Government in consultation with the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, hereby, nominate Shri J. K. Jain District Judge and Chairman, District Legal Services Authorities Sehore, Ex Officio Member of the Madhya Pradesh State Legal services Authorities for a period of two years with effect from the date assume charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

फा. क्र. 1(बी)-11-04-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2004 द्वारा श्री मोहन प्रसाद सोनी, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, गुना को नियुक्त किया था.

श्री मोहन प्रसाद सोनी, अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाने के कारण उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने तक श्री मोहन प्रसाद सोनी अति. शास. अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक गुना उक्त पद पर कार्य करते रहेंगे शर्त के अधीन उन्हें विधि विभाग नियमावली, 2008 के नियम 20 तथा उनकी नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार उन्हें एक माह का सूचना-पत्र दिया जाकर उनके स्थान पर नवीन नियुक्ति होने अथवा एक माह की सूचना की अवधि (जो भी बाद में पूर्ण हो) के पश्चात् पद मुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र. एफ 31-17-2010-सत्ताईस-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा द्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा-2 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम (3) तथा (4) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है अर्थात् :—

स. क्र.	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्य का कमाण्ड क्षेत्र		
		ग्रामों की संख्या	विस्तार (हेक्टर में)	कृषक संगठनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	फीफराड वितरण शाखा	2	224.42	
2	जुलवानिया वितरण शाखा	2	385.13	1
3	अटूट वितरण शाखा	6	681.05	
4	कालमुखी वितरण शाखा	8	138.21	1
5	नर्मदा विकास संभाग क्र. 19 भीकनगांव वितरण कक्ष क्र. 1	5	1750	1
6	नर्मदा विकास संभाग क्र. 19 भीकनगांव वितरण कक्ष क्र. 2	6	1795	1
7	नर्मदा विकास संभाग क्र. 19 भीकनगांव वितरण कक्ष क्र. 3	9	1785	1
8	नर्मदा विकास संभाग क्र. 19 भीकनगांव वितरण कक्ष क्र. 4	7	1615	1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
''निर्वाचन भवन''
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र एफ 67-173-10-तीन-557—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत तरीचरकलां जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में सुश्री संगीता विमलेश वर्मा,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर पंचायत तरीचरकलां जिला टीकमगढ़** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्र. क-न.नि.-व्यय लेखा/10/406,दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री संगीता विमलेश वर्मा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री संगीता विमलेश वर्मा** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण,बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री संगीता विमलेश वर्मा को नोटिस दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 24 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 18 मई 2010 में लेख किया कि **सुश्री संगीता विमलेश वर्मा** को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उनके द्वारा इस कार्यालय में आज दिनांक तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा 20 जुलाई 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 12 अगस्त 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2010 को कराई गई. सुनवाई में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुईं उनके स्थान पर अभ्यर्थी के पति उपस्थित हुए. उन्होंने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया एवं सुनवाई में अवगत कराया कि श्रीमती संगीता द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2010 को स्वयं उपस्थित होकर आयोग कार्यालय में व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया. विलंब से लेखा प्रस्तुत करने का कारण ससुर एवं बच्ची का अस्वस्थ होना बताया किन्तु इस हेतु कोई प्रमाण अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री संगीता विमलेश वर्मा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत तरीचरकलां जिला टीकमगढ़**

का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. एफ 67-173-10-तीन-558—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत तरीचरकलां जिला टीकमगढ़ के आम निर्वाचन में श्री हुकुम पटवा** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत तरीचरकलां जिला टीकमगढ़** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी टीकमगढ़ के पत्र क्र. क-न.नि.-व्यय लेखा/10/406,दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री हुकुम पटवा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री हुकुम पटवा** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 18 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़ के माध्यम से दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री हुकुम पटवा को नोटिस दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 24 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 18 मई 2010 में लेख किया कि **श्री हुकुम पटवा** को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् उनके द्वारा इस कार्यालय में आज दिनांक तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा 20 जुलाई 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 12 अगस्त 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2010 को कराई गई. अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 19 जुलाई 2010 को अभ्यावेदन, जो कि उनके पुत्र द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, के साथ मूल निर्वाचन व्यय लेखे प्रस्तुत किए गए. अभ्यावेदन के संबंध में कलेक्टर टीकमगढ़ ने अभिमत दिया कि अभ्यर्थी के पुत्र द्वारा प्रस्तुत विनयपत्र स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, तरीचरकलां ने अभिमत दिया है कि उनके कार्यालय में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के किसी अभ्यर्थी ने व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया था. विनय पत्र सत्यता के परे है एवं व्यय लेखा समय पर प्रस्तुत न करने से अमान्य किया जाना उचित होगा. व्यक्तिगत सुनवाई में भी अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री हुकुम पटवा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये **तथा नगर पंचायत तरीचरकलां जिला टीकमगढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से पांच वर्ष (5 वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. एफ 67-253-10-तीन-560.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार **महापौर** पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार **महापौर** पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना** के आम निर्वाचन में **श्री रमेश कुमार** महापौर पद के अभ्यर्थी थे. **नगरपालिक निगम, सतना जिला सतना** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 16 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 15 जनवरी 2010 तक, इनको अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. क 594/स्था. निर्वा.-न.पा.-09-10, दिनांक 26 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री रमेश कुमार पिता बृजमोहन** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री रमेश कुमार पिता बृजमोहन** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 10 मई 2010 को उनकी पत्नि को एवं पुन: दिनांक 30 अक्टूबर 2010 को स्वयं अभ्यर्थी पर तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री रमेश कुमार पिता बृजमोहन को नोटिस दिनांक 10 मई 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 25 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 1 जून 2010 में लेख किया कि ''नोटिस तामीली की तारीख से 15 दिवस से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है.'' उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 9 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 मार्च 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र अभ्यर्थी को उनके डाक के पते पर भी पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया था. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, सतना द्वारा दिनांक 6 मार्च 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री रमेश कुमार** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना** का महापौर या पार्षद होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. एफ 67-253-10-तीन-561.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार **महापौर** पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार **महापौर** पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना** के आम निर्वाचन में **श्री वृन्दावन** महापौर पद के अभ्यर्थी थे. **नगरपालिक निगम, सतना जिला सतना** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 16 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 15 जनवरी 2010 तक, इनको अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. क-594/स्था. निर्वा./न.पा.-09-10, दिनांक 26 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री वृन्दावन** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री वृन्दावन** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 7 मई 2010 को स्वयं अभ्यर्थी पर तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री वृंदावन को नोटिस दिनांक 7 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 13 मई 2010 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अभ्यर्थी ने लेख किया कि '' प्रार्थी विकलांग होने के कारण उक्त सभी दस्तावेज अपने एक साथी को दे दिया था, वह साथी एक गरीब व अनपढ़ था जो कि निर्वाचन से संबंधित जिम्मेदारियों को नहीं समझता था वह कागज अपने घर में रखकर काम के उद्देश्य से गुजरात चला गया जिस कारण समय पर उक्त दस्तावेज व्यय रजिस्टर समय पर उपलब्ध होने के कारण तय सीमा 30 दिन के अंदर नहीं पेश कर सका.'' उक्त अभ्यावेदन के संबंध में कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 1 जून 2010 में अभिमत दिया कि ''.....**अभ्यर्थी वृन्दावन कुशवाहा द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा समय से प्रस्तुत न कर पाने के लिये उल्लेखित कारण समाधानकारक न होने के कारण मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम 1956 की धारा 14 ग के तहत कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है.**'' उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 9 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 मार्च 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, सतना द्वारा दिनांक 6 मार्च 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री वृंदावन** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना** का महापौर या पार्षद होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र एफ 67-253-10-तीन-562.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार **महापौर** पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य

है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार **महापौर** पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना** के आम निर्वाचन में **श्री सुखदेव प्रसाद द्विवेदी** महापौर पद के अभ्यर्थी थे. **नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 16 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 15 जनवरी 2010 तक, इनको अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. क-594/स्था. निर्वा./न.पा./09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री सुखदेव प्रसाद द्विवेदी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री सुखदेव प्रसाद द्विवेदी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 7 मई 2010 को उनकी पत्नि को एवं पुनः दिनांक 30 अक्टूबर 2010 को स्वयं अभ्यर्थी पर तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री सुखदेव प्रसाद द्विवेदी को नोटिस दिनांक 7 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सतना ने अपने पत्र दिनांक 1 जून 2010 में लेख किया कि '' **नोटिस तामीली की तारीख से 15 दिवस से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है.**'' उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 9 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 मार्च 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, सतना द्वारा दिनांक 5 मार्च 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री सुखदेव प्रसाद द्विवेदी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना** का महापौर या पार्षद होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

क्र. एफ 67-253-10-तीन-563.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार **महापौर** पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार **महापौर** पद का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने

निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना** के आम निर्वाचन में **श्री सन्जू सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह** महापौर पद के अभ्यर्थी थे. **नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 16 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 15 जनवरी 2010 तक, इनको अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. क-594/स्था. निर्वा./न.पा./09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री सन्जू सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री सन्जू सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 7 मई 2010 को स्वयं अभ्यर्थी पर तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री सन्जू सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह को नोटिस दिनांक 7 मई 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 22 मई 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर **सतना** ने अपने पत्र दिनांक 1 जून 2010 में लेख किया कि '' **नोटिस तामीली की तारीख से 15 दिवस से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी कोई अभ्यावेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया है.**'' उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विचारोपरांत दिनांक 9 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 मार्च 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, सतना द्वारा दिनांक 6 मार्च 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री सन्जू सिंह उर्फ पुष्पेन्द्र सिंह** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम, सतना, जिला सतना** का महापौर या पार्षद होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र एफ 67-260-10-तीन-592.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित

अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत जैतवारा, जिला सतना** के आम निर्वाचन में **सुश्री फूलमती डोहर** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत जैतवारा, जिला सतना, के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पास दाखिल किया जाना था. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पत्र क्र. 594-स्था.नि/नपा.-09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री फूलमती डोहर** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री फूलमती डोहर** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 का जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 30 नवम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री फूलमती डोहर, को नोटिस दिनांक 30 नवम्बर, 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 15 दिसम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, सतना ने अपने पत्र दिनांक 25 जनवरी 2011 में लेख किया कि "**सुश्री फूलमती डोहर** को आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली तत्समय में कराने के उपरांत भी उक्त अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक अपना अभ्यावेदन/निर्वाचन व्यय लेखा इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया." कलेक्टर, सतना से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 मार्च 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, सतना द्वारा दिनांक 16 मार्च 2011 से पूर्व करा दी गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री फूलमती डोहर** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत जैतवारा, जिला सतना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र एफ 67-260-10-तीन-593.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत जैतवारा, जिला सतना** के आम निर्वाचन में **सुश्री सुशीला बाई डोहर** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत जैतवारा जिला सतना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के

अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पास दाखिल किया जाना था. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के पत्र क्र. 594-स्था.नि/नपा.-09-10, दिनांक 26 फरवरी, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री सुशीला बाई डोहर** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री सुशीला बाई डोहर** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सतना के माध्यम से दिनांक 30 नवम्बर 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

कलेक्टर सतना ने दिनांक 6 मार्च 2010 को संशोधित परिशिष्ट छत्तीस प्रेषित किया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 23 जनवरी 11 को अपूर्ण लेखे दाखिल करने का लेख किया गया. आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर सतना ने अभ्यर्थी को जिला स्तर पर नोटिस जारी कर लेखे पूर्ण किये जाने हेतु सूचना पत्र दिनांक 1 मई 2010 को जारी किया. कलेक्टर सतना ने पत्र दिनांक 7 जुलाई 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी द्वारा लेखे पूर्ण नहीं किये गये.

सुश्री सुशीला बाई डोहर , को आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 30 नवम्बर, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 15 दिसम्बर 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही लेखे ही पूर्ण किए गए. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, सतना ने अपने पत्र दिनांक 25 जनवरी 2011 में लेख किया कि ''**सुश्री सुशीला बाई डोहर** को आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली तत्समय में कराने के उपरांत भी उक्त अभ्यर्थी द्वारा आज दिनांक तक अपना अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया.'' कलेक्टर, सतना से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 18 मार्च 2011 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर, सतना द्वारा दिनांक 11 मार्च 2011 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री सुशीला बाई डोहर** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत जैतवारा, जिला सतना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र एफ 67-202-10-तीन-595.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिका परिषद् रहली जिला सागर** के आम निर्वाचन में **श्री महेश पटेल** अध्यक्ष पद के

अभ्यर्थी थे. नगर पालिका परिषद् रहली जिला सागर के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के पास दाखिल किया जाना था. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के पत्र क्र. 754-स्था.निर्वा./10, दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री महेश पटेल** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री महेश पटेल** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 मई 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सागर के माध्यम से दिनांक 5 जून 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री महेश पटेल को नोटिस दिनांक 5 जून 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. कलेक्टर सागर ने अपने पत्र दिनांक 5 अगस्त 2010 में लेख किया कि **''महेश पटेल को दिए गए नोटिस की तामीली विधिवत कराई जाकर पावती प्राप्त की गई परन्तु उक्त संबंधित नोटिस का जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है.''**. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2011 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 8 मार्च 2011 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए, अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली 3 मार्च 2011 को हो गई थी. अभ्यर्थी ने दिनांक 3 मार्च 2011 को ही एक अभ्यावेदन डाक के माध्यम से आयोग को प्रेषित किया, जिसमें निर्वाचन व्यय लेखा की जानकारी एक सादे कागज पर लिख रिकार्ड में दर्ज करने का अनुरोध किया. अभ्यर्थी द्वारा विहित रीति एवं प्ररूप (निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर) में व्यय लेखा की जानकारी प्रेषित नहीं की गई एवं न ही अभ्यावेदन में विलंब से जानकारी प्रेषित करने के संबंध में कोई ठोस कारण अथवा प्रमाण ही प्रस्तुत किये.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री महेश पटेल** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद् रहली जिला सागर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र एफ 67-264-10-तीन-597.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत खांड़, जिला**

शहडोल के आम निर्वाचन में **सुश्री गीता पांडेय** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत खांड जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पास दाखिल किया जाना था. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा.-10-713, दिनांक 22 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री गीता पांडेय** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री गीता पांडेय** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मई 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के माध्यम से दिनांक 26 मई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री गीता पांडेय, को नोटिस दिनांक 26 मई, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 10 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत प्रस्तुत करना था. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 23 जून 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी **सुश्री गीता पांडेय** द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर शहडोल द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री गीता पांडेय** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत खांड, जिला शहडोल** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र एफ 67-264-10-तीन-598.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत खांड़, जिला शहडोल** के आम निर्वाचन में **सुश्री माया सिंह** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर पंचायत खांड़ जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पास दाखिल किया जाना था. किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पत्र क्र. न.पा.निर्वा.-10-713, दिनांक 22 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री माया सिंह** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री माया सिंह** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 12 मई 2010 को जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के माध्यम से दिनांक 26 मई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री माया सिंह, को नोटिस दिनांक 26 मई, 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 10 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत प्रस्तुत करना था. कलेक्टर शहडोल ने अपने पत्र दिनांक 23 जून 2010 में लेख किया कि अभ्यर्थी **सुश्री माया सिंह** द्वारा आज दिनांक तक इस कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया. उक्त अभिमत प्राप्त होने पर विचारोपरान्त आयोग द्वारा दिनांक 27 सितम्बर 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 अक्टूबर 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली कलेक्टर शहडोल द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर 2010 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री माया सिंह** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत खांड़, जिला शहडोल** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(रजनी उइके)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2011

क्र. 931.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम, 277, 278 एवं 279 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, उक्त नियम के अध्याय 32 के नियम, 279 के अन्तर्गत निम्मलिखित अनुसूची के कॉलम (एक) में दर्शाये अनुसार योजना के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचनाओं के सुसंगत प्रावधानों को अनुसूची के कॉलम (दो) के अनुसार संशोधित कर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील करता है:—

वर्तमान प्रावधान (एक)	संशोधित प्रावधान (दो)
1. मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 11 जुलाई 2008 के पृष्ठ क्रमांक 1682 में प्रकाशित हितग्राही पुत्री अथवा महिला हितग्राही के विवाह हेतु सहायता योजना 2004 की कंडिका	
6.1 पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह/एकल विवाह के आयोजन की दशा में रुपये पांच हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी. उपरोक्त के अतिरिक्त रुपये एक हजार सामूहिक विवाह के आयोजक को प्रति विवाह अलग से देय होगी.	6.1 पंजीबद्ध महिला श्रमिक के विवाह/एक बार पुनर्विवाह एवं पंजीबद्ध श्रमिक की दो पुत्रियों की सीमा तक रुपये दस हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी. न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में रुपये नौ हजार प्रति विवाह सहायता देय होगी एवं इसके अतिरिक्त रुपये एक हजार प्रति विवाह सामूहिक विवाह के आयोजक को अलग से राशि देय होगी.
6.2 विवाह की प्रस्तावित तिथि के 1 माह पूर्व आवेदन की दशा में पात्रता की जांच उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जनपद पंचायत अथवा जनपद पंचायत द्वारा अधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी.	6.2 विवाह की प्रस्तावित तिथि से 1 दिन पूर्व तक प्रस्तुत आवेदनों की जांच उपरांत सक्षम प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा सहायता स्वीकृत की जायेगी.

प्रभात दुबे, सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 11 मार्च 2011

क्र. 622-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	असालिया	13.69	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ.	असालिया तालाब एवं नहर निर्माण हेतु.
		योग ..	13.69		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 624-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र.-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	नाहरपुरा	0.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 1 झाबुआ.	नाहरपुरा नहर निर्माण हेतु
		योग ..	0.20		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 21 मार्च 2011

क्र. 717-भू-अर्जन-2010-11-रा. प्र. क्र. अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	रूणजी	4.85	कार्यपालन यंत्री, माही परियोजना मुख्य बांध संभाग पेटलावद, जिला-झाबुआ (म. प्र.).	माही परियोजना की पीथापाड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु.
		योग ..	4.85		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष-2010-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	मेहगांव	1.320	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहपुर.	मेहगांव जलाशय के अंतर्गत उपनहर निर्माण हेतु.
		योग ..	1.320		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधित अधिसूचना

मनावर, दिनांक 20 अप्रैल 2011

क्र. 485-वाचक-प्र. क्र. 04-अ-82-वर्ष-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	कोसवाड़ा (पूरक)	2.069	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-30, मनावर.	ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 153261 मी. से 155804 मी. तक एवं डी. एम. 77 से प्रभावित होने वाली भूमि हेतु.
		प.ह.नं. 17.	योग . . 2.069		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. 3918-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	नीमखेड़ा	3.870	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार.	थाना तालाब नहर निर्माण अंतर्गत प्रभावित होने से.
			योग . . 3.870		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 3923-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	बेकल्या	6.921	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार.	थाना तालाब नहर निर्माण अंतर्गत प्रभावित होने से.
		योग . .	6.921		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 3928-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	घटबोरी	15.660	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, धार.	थाना तालाब नहर की निर्माण से प्रभावित होने से.
		योग . .	15.660		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 3933-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	थाना	3.728	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, धार.	थाना तालाब की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
		योग . .	3.728		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 3938-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	चिचबा	3.323	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, धार.	थाना तालाब की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
		योग . .	3.323		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 3968-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	बदनावर	माकनी	0.680	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार.	माही परियोजना से पीथमपुर हेतु जलप्रदाय की स्थापना के लिये माकनी की भूमि प्रभावित होने से.
		योग . .	0.680		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग बदनावर तथा महा प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, धार, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मनावर, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. 547.-वाचक-प्र.क्र. अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	पिपरी पूरक	1.139	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना की नहर आर.डी. 124975 मी. से 127090 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.
		प्रकरण योग . .	1.139		
		प.ह.नं. 29			

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 21 अप्रैल 2011

क्र. 1131-भू-अर्जन-11-प्र. क्र. 07-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजनार्थ
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	भानपुरा	कोहला	3.047	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन गांधीसागर.	पिपल्दा, लालगंज तालाब से वेस्टवअर हेतु.
			योग . . 3.047		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 21 अप्रैल 2011

क्र. 712-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	पखालिया	वन परिक्षेत्र चिरिया के ग्राम पखालिया वन भूमि में दिनांक 13-12-2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त वन भूमि है. क्षेत्रफल 3.802 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 19, भीकनगांव.	अपरवेदा परियोजना की मुख्य नहर, सुर्वा माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य.

नोट.—(1) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 19, भीकनगांव एवं वन मण्डलाधिकारी, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

(2) वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञाप क्र. 6-19-2005-1333, दिनांक 27 जुलाई 2006 से निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त की गई है.

क्र. 713-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	लखापुर	वन परिक्षेत्र चिरिया के ग्राम लखापुर वन भूमि में दिनांक 13-12-2005 को अतिक्रमित वन भूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त वन भूमि है. क्षेत्रफल 0.540 हे.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 19, भीकनगांव.	अपरवेदा परियोजना की सुर्वा माइनर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य.

नोट.—(1) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी अपरवेदा परियोजना भीकनगांव मुख्यालय खरगोन, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 19, भीकनगांव एवं वन मण्डलाधिकारी, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

(2) वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति भारत शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ज्ञाप क्र. 6-19-2005-1333, दिनांक 27 जुलाई 2006 से निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 23 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 8- अ-82-वर्ष 2010-11-2883.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	खैरवाड़ा	5.897	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-वर्ष 2010-11-2884.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	चारघाटी	3.064	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-वर्ष 2010-11-2885.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	चिचपाटी	5.060	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-वर्ष 2010-11-2886.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	पचबड़	0.920	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	मारू जलाशय के नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-वर्ष 2010-11-2887.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	सांवलमेढ़ा	0.323	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	गुनघाटी जलाशय की बॉयी तट नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-वर्ष 2010-11-2888.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	खापा रैय्यत	9.270	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	गुनघाटी जलाशय की बॉयी तट नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 14-अ-82-वर्ष 2010-11-2889.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	गदराझिरी	7.536	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	गुनघाटी जलाशय की बॉयी तट नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-वर्ष 2010-11-2890.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	भैसदेही	कौड़िया	15.415 बांध 1.038 स्पील चेनल 2.711 नहर योग . . 19.164	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल.	कौड़िया जलाशय बांध, स्पील चेनल नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैसदेही के न्यायालय एवं कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के भीतर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय आनंद कुरील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 28 अप्रैल 2011

क्र.-691-भू-अर्जन-2011-**संशोधित अधिसूचना.**—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय से उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	1. रतहरा 2. रतहरी	0.580 1.512	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्र. 1.	रिंग रोड निर्माण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3. गडरिया	1.833		
		4. लोही	2.219		
		5. जोरी	2.079		
		6. सिलपरी	0.497		
		7. डकवार	0.090		
		8. सिलपरा	0.008		
		कुल योग . .	8.818		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र.-6857-भू-अर्जन-2009.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	कलालपुरा चोकी	0.948 1.048	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़	कलालपुरा तालाब की नहर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	कलालपुरा बानपुरा	1.226 1.750	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, राजगढ़	कलालपुरा तालाब के निर्माण हेतु शेष रही भूमि का अर्जन.
		योग . .	4.972		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र.-6947-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के

संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	बडलावदा	2.829	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़	बडलावदा तालाब के डूब क्षेत्र की शेष रही भूमि का भू-अर्जन.
राजगढ़	राजगढ़	खुजनेर	0.308		
		योग . .	3.137		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़/भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 01-भू-अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किये जाने वाले हैं. खसरा नं.	रकबा (हे.मे.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	हुजूर/ भोपाल	कढैया	18/1	0.700	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 विदिशा.	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
			18/2	0.100		
			39/1	0.150		
			39/2	0.020		
			25	0.320		
			45/128	0.010		
			92	0.050		
			45	0.050		
			93	0.220		
			97	0.530		
			95	0.500		
			99	0.270		
			96	0.510		
			योग . .	3.430		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2-भू-अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किये जाने वाले हैं. खसरा नं.	रकबा (हे.मे.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	हूजूर/ भोपाल	करोंदखुर्द	2	1.390	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 विदिशा.	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
			3	0.810		
			4	0.640		
			5	1.000		
			6	0.900		
			7	0.130		
			85/189	0.430		
			8	0.200		
			9	0.050		
			10	0.750		
			11	1.780		
			4/199	0.230		
			10/200	0.120		
			61/1	0.190		
			55/2	0.150		
			61/2	0.620		
			56	0.500		
			57	1.200		
			60	0.660		
			69	0.700		
			58	2.040		
			74	0.500		
			78	0.900		
			77	0.040		
			59	1.250		
			62	0.710		
			63/1	0.400		
			64	0.110		
			68	0.050		
			70	0.240		
			80	0.100		
			73/2	0.760		

(1)	(2)	(3)	खसरा नं. (4)	रकबा (हे.मे.) (5)	(6)	(7)
			79	0.150		
			73/1	0.910		
			81/3	0.340		
			81/2	0.330		
			81/1	0.330		
			84	0.360		
			84/202	0.170		
			85/1	1.070		
			85/2	0.160		
			94/1	0.910		
			83/1	0.530		
			83/2	0.530		
			86	2.060		
			87	0.160		
			89	1.470		
			88	0.500		
			90	4.300		
			92	3.180		
			91	1.570		
			93	3.230		
			102	0.250		
			94/2	0.790		
			116/1	0.800		
			94/3	1.200		
			103	0.240		
			116/2	0.800		
			100	2.470		
			101	0.630		
			104	0.300		
			105/1	0.410		
			105/2	0.800		
			106	0.350		
			109	0.120		
			110	0.570		
			111	0.300		
			112	0.200		
			107	0.600		
			108	0.950		
			113	1.010		
			182/192	1.240		
			114	0.400		
			115	4.200		
			116/204	0.100		

			खसरा नं.	रकबा (हे.मे.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			116/3	0.610		
			118	0.410		
			171/2	0.800		
			174	1.150		
			175	0.180		
			176	0.200		
			180	0.500		
			182	0.110		
			184	0.600		
			73/203	0.010		
			184/194/1	1.500		
			184/194/2	0.220		
			183/193	0.650		
			87/198	0.280		
			94/4	1.050		
			योग . .	68.820		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-भू-अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले है. खसरा नं.	रकबा (हे.मे.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	हूजूर/ भोपाल	कनेरा	24	0.170	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2 विदिशा.	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
			25	0.500		
			26	0.500		
			29	0.330		
			30	0.630		
			31	0.730		
			52/1	0.228		
			53	0.340		
			52/2	0.100		
			54	0.730		
			योग . .	4.258		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-भू-अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नंबर अर्जित किया जाने वाले खसरा नं.	रकबा (हे.मे.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
भोपाल	हूजूर भोपाल	मोमनपुर	13	0.460	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
			14	2.700		
			15	0.150		
			17	0.200		
			18	0.150		
			22	0.270		
			24	0.590		
			28	0.200		
			30	0.140		
			23	0.160		
			31	0.150		
			32	1.150		
			34	0.120		
			49/2	0.450		
			51/2	0.400		
			51/1/1	0.680		
			49/3	0.050		
			योग . .	8.020		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील हुजूर जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंजकुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. 631-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	ग्राम लभौली	1.50	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	सिरमौर वितरक नहर के मुड़ियारी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 633-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की वर्णित (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सहेबा 535 ज. नं.	0.275	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी वितरक नहर की पिपरवार वितरक की सहेबा माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 635 भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की उपधारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	देवरा ज. न. 247	0.150	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की देवरा माइनर नं. 1 एवं 2 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 637-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पिपरवार	0.038	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी वितरक नहर की पिपरवार माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 639-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने में (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश

देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	तिवनी पैपखार	0.415	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग, रीवा.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योंटी नहर की आलमगंज वितरक नहर एवं उसकी माइनर वितरक नहर की तिवनी माइनर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधित अधिसूचना

मुरैना, दिनांक 26 अप्रैल 2011

प्र. क्र. कोर्ट कले.-राजस्व-भू-अर्जन-09-10-अ-82-530.—में पूर्व प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर 2010 में तहसीलदार, मुरैना के प्रतिवेदन के आधार पर मौके की स्थिति अनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं:—

संशोधित अनुसूची

भूमि का वर्णन							धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	पूर्व में अधिग्रहण हेतु प्रकाशित रकबा		संशोधित अधिग्रहण हेतु शेष रकबा (हेक्टर में)		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			सर्वे क्र.	रकबा	सर्वे क्र.	रकवा		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)
मुरैना	मुरैना	पिपरई	1518	0.520	1518/1	0.050	प्रबंधक संचालक म. प्र. सड़क विकास निगम, भोपाल.	धौलपुर-मुरैना मार्ग पर इन्टीग्रेटेड चैक पोस्ट बेरियर निर्माण हेतु निजी भूमि का स्थायी रूप से अर्जन.
			1502	0.056	1502	0.064		
			1610	0.022	1610	0.168		
			1611	0.244	1611	0.025		

नोट.— सर्वे क्रमांक 1611, रकबा 0.244 में से संशोधित अधिग्रहित रकबा 0.025 है. शेष रकबा 0.219 अधिग्रहण से मुक्त.
सर्वे क्रमांक 1610, रकबा 0.210 में से कुल अधिग्रहित रकबा 0.190 है. शेष रकबा 0.020 अधिग्रहण से मुक्त.
सर्वे क्रमांक 1518, रकबा 0.570 का सम्पूर्ण रकवा अधिग्रहित है. शेष रकबा नहीं है.

सर्वे क्रमांक 1518, रकबा 0.570 का सम्पूर्ण रकबा अधिग्रहित है. शेष रकबा नहीं है.
सर्वे क्रमांक 1502, रकबा 0.120 का सम्पूर्ण रकबा अधिग्रहित है. शेष रकबा नहीं है.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, मुरैना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. क्यू-भू-अर्जन-550.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
शिवपुरी	नरवर	गडौला	27/1	0.04	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग, नरवर, जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मगरौनी माइनर उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु.
			27/2	0.02		
			30	0.04		
			31	0.06		
			32/1	0.08		
			32/2	0.01		
			43/1	0.15		
			43/2	0.01		
			44	0.08		
			63	0.12		
			64	0.03		
			65	0.02		
			71/1	0.05		
			79/3	0.17		
			80	0.05		
			81	0.04		
			82	0.02		
			83	0.03		
			84/1	0.01		
			84/2	0.01		
			कुल रकबा	1.04		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-549.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	नरवर	मगरौनी	516/1 516/2 514/1/1	0.46 0.16 0.09	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना,दायां तट नहर संभाग, नरवर.	सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत 2 आर मायनर (L.I.S.) की दौलताबाद सब मायनर का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 27 अप्रैल 2011

क्र. 1357-भू.अ.अ.-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन				धारा (4) की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	1. फतेहपुर 2. देवदरा	5.67 0.88	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह.	फतेहपुर जलाशय योजना निर्माण में छूट गए शेष खसरा नंबरों की भूमि का अर्जन.
		कुल योग . .	6.55		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, हटा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवानन्द दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 20 जनवरी 2011

रा. मा. क्र. 07-अ-82-2010-11-पत्र क्रमांक 41-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—खकरिया, प. ह. नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.806 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
3/1	0.016
4	0.041
5/1	0.061
6/1, 6/2	0.210
12/1, 13/1	0.275
22/1	0.113
7/1-2, 8/1-2, 9/1-2, 10/1-2	0.041
22/3	0.049
योग :	0.806

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—मुख्य नहर के सीपेज जोन में ड्रेन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

रा. मा. क्र. 08-अ-82-2010-11-पत्र क्रमांक 41-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—नरवारा, प. ह. नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.195 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/2, 2/3, 2/4, 3/2, 3/3	0.195
योग :	0.195

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सिवनी गाडरवारा तेंदूखेड़ा मार्ग के कि. मी. 14/10 निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 01-अ-82वर्ष-2010-11-पत्र क्रमांक 03-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा

(ग) ग्राम—अमोदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.978 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
13/2	0.040
14/1	0.044
13/1	0.040
15/1	0.048
15/2	0.072
12/3	0.072
20/1	0.020
20/2	0.020
20/3	0.020
20/5	0.012
20/4	0.020
21/1	0.032
5/1-2ख	0.101
5/1-3ग	0.101
5/1-3घ	0.088
5/2ख	0.202
5/1	0.101
12/1	0.032
12/4	0.036
9/1ठ	0.064
9/1ट	0.040
72/4	0.048
72/3	0.048
72/1ख	0.040
72/1क	0.040
71/1ख	0.040
78/1-3	0.072
70/2	0.050
70/1	0190
84/1	0.142
52/1	0.060
52/2	0.060
84/2	0.060
82	0.020
83	0.060
80/2	0.069
80/1	0.081
79	0.101
78/2	0.024
14/2	0.048
75/6 77/6 130/2	0.437
75/1ख 76/1 130/1ख 130/10	0.437
75/1ग 77/2 130/1	0.162
74/3- 75/1-6	0.364
74/2	0.032
74/4	0.028
74/1	0.060
योग :	3.978

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन कार्यालय, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82वर्ष-2010-11-पत्र क्रमांक 13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—करेली

(ग) ग्राम—आमगांवडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.323 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
18	0.052
16	0.080
15/3-4	0.024
19	0.040
13/2-14/1	0.048

(1)	(2)
12/2	0.061
21/2	0.092
11/1-2	0.084
23/1	0.081
23/2	0.032
23/3	0.056
164/1	0.064
163/3	0.068
163/1	0.056
163/4	0.084
24	0.016
160/1	0.020
162	0.048
160/2	0.006
150/1	0.151
151-150/2	0.024
149	0.032
147/1	0.048
152/2-3-4	0.056
योग :	1.323

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82वर्ष-10-11-पत्र क्रमांक 13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—महगुंवाकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.493 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
18/1	0.028
18/2	0.056
19/1	0.121
20/1	0.049
20/2	0.088
24/1	0.052
24/2	0.044
29	0.076
30	0.056
113/2	0.040
113/1	0.028
133/3	0.048
112	0.064
111/1	0.064
110/2	0.024
11/03	0.024
110/4	0.040
109/1	0.020
105/1	0.116
105/2	0.048
101	0.068
100	0.160
238/1-2	0.524
239/1	0.053
239/2	0.040
239/3	0.048
241/1-2	0.130
242/1-2-3	0.244
237	0.144
योग :	2.493

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन कार्यालय गाडरवारा में किया जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 04-अ-82वर्ष-2010-11-पत्र क्रमांक 216-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)

की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—पलोहा बड़ा, प. ह. नं. 11
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.080 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
423/3	0.060
423/2क	0.020
योग :	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अमोदा टेल माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 2 अप्रैल 2011

क्र. 317-2010-एलए-भू-अर्जन प्र. क्र. 1अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पूर्व निमाड़ खण्डवा
(ख) तहसील—हरसूद
(ग) ग्राम—बलड़ी, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 0.50 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जन हेतु रकबा (हे. में)	परिसम्पत्ति
(1)	(2)	(3)
9/2	0.50	निरंक
योग . .	0.50	निरंक

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना में डूब से प्रभावित होने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा क्रमांक 5 (नया हरसूद) के न्यायालय एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 21 अप्रैल 2011

प्र. क्र. 1-अ-82-2009-10-**शुद्धि पत्र.**—इस कार्यालय द्वारा भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना प्र. क्र. 1-अ-82-2009-10 भू-अर्जन ग्राम हरिपुरा, तहसील हरसूद, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा के लिये दो स्थानीय समाचार-पत्र एवं राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी गई थी. उक्त अधिसूचना का प्रकाशन हिन्दी समाचार पत्र हिन्दी दैनिक ''पत्रिका'' में दिनांक 11 फरवरी 2011 व दूसरे समाचार-पत्र ''नव भारत'' में दिनांक 25 फरवरी 2011 में एवं राजपत्र पृष्ठ क्रमांक 537, दिनांक 25 फरवरी 2011 त्रुटिपूर्ण प्रकाशन होने से निम्नानुसार संशोधन नीचे दर्शाये अनुसार पढ़ा जावे.—

प्रकाशन हुआ	**प्रकाशन होना था जो पढ़ा जाये**
(ङ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)- 3.43 हैक्टेयर	(ङ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)- 47.53 वर्गमीटर

नोट.—प्रकरण में संबंधित शेष विवरण पूर्व प्रकाशन अनुसार ही रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 अप्रैल 2011

प. क्र. 2639-(क)-प्र. भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन
(ग) ग्राम—करनैलगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.81 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
46	0.425
45	0.495
42/1, 42/2	0.235
41	0.368
38/2	0.274
40	0.005
37	0.137
36/1	0.184
36/1	0.102
34	0.072
35	0.294
33	1.427
225	0.148
160	0.116
154	0.043
158	0.030
172	0.017
173	0.120
175	0.001
174	0.080
169	0.105
155	0.140
161	0.103
170	0.056
162	0.206
166	0.389
164	0.20
165	0.48
रास्ता	0.147
223	0.19
225	0.147
231	0.050
230	0.243
232	0.024
229	0.118
228	0.08
योग :	6.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सागर-ललितपुर (एन. एच. 26) अन्तर्राज्यीय चैक पोस्ट के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुरई में देखा जा सकता है.

सागर, दिनांक 8 अप्रैल 2011

प. क्र. 2679-(क)-प्र. भू-अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन
(ग) ग्राम—खिरियाडांग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.24 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
35/2	0.08
36	0.11
35/1	0.11
34	0.28
33	0.31
32	0.35
योग :	1.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सागर-ललितपुर (एन. एच. 26) अन्तर्राज्यीय चैक पोस्ट के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुरई में देखा जा सकता है.

सागर, दिनांक 13 अप्रैल 2011

क्र. 2771-(क)-प्र. भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन
(ग) ग्राम—खिरियाकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.24 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
298	0.09
299	0.03
295	0.05
206	0.05
284	0.01
208	0.01
योग :	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बीना खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुरई में देखा जा सकता है.

क्र. 2774-(क)-प्र. भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन
(ग) ग्राम—बरुआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.38 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
47	0.20
45	0.25
140	0.32
145	0.65
146	0.27
152	0.16
157/1	0.16
158	0.08
162/3	0.10
162/5	0.10
162/7	0.05
162/8	0.04
योग :	2.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बीना खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में देखा जा सकता है.

क्र. 2777-(क)-प्र. भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन
(ग) ग्राम—चक्कबधोनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.19 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
23	0.07
24	0.01
33	0.11
योग :	0.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बीना खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में देखा जा सकता है.

क्र. 2791-(क)-प्र. भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन
(ग) ग्राम—बम्होरीलाल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.10 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
37/1 37/2	0.01
38	0.02
23	0.05
20/1	0.02
योग :	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में देखा जा सकता है.

क्र. 2793-(क)-प्र. भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—मालथौन
(ग) ग्राम—लोंगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.51 हेक्टेयर.

खसरा नं.	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
411	0.22
413	0.04
463	0.05
464	0.04
465	0.07
466	0.03
468/1	0.05
469/1	0.01
योग :	0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बीना खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 21 अप्रैल 2011

क्र. 487-वाचक-प्र.क्र.-अ-82-2009-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—अजन्दीकोट (पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—21.723 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
177	0.042
178	0.160

(1)	(2)
179	0.245
189	0.042
180/1	0.020
183/1	0.010
184	0.365
251	0.260 0.040
252	0.180
253	0.020
267/1	0.110
267/2	0.110
267/3	0.110
267/4	0.110
267/5	0.110
266/2/2	0.035
266/3	0.160
297	0.200
298/2	0.200
299	0.100
298/1	0.200
295/1	0.480
294	0.050
291/1	0.240
289/1	0.100
289/2	0.200
46/1/1/1	0.150
46/2 47/1	0.300
47/2	0.340
47/3/2	0.340
47/3/1/2	0.276
47/3/1/1	0.276
48	0.454
49/1	0.220
51/3	0.120
51/1	0.265
51/2	0.265
53/1क	0.310
53/2	0.110
54/2	0.075
54/3	0.075
54/1	0.160
63	0.340
82/3	0.250

(1)	(2)
287/1 287/2 287/3	0.250
286/1	0.140
281/2/2	0.100
281/2/3	0.350
282	0.200
283/1	0.100
279/1/3	0.125
300/2	0.210
317/1	0.050
317/3	0.500
314/1/1	0.360
314/2	0.320
332/1	0.190
332/2	0.190
332	0.300
333	0.200 0.240
327	0.250
206/2	0.350
328	0.024
339/2	0.285
347/3/2	0.200
347/2	0.340
346/2	0.052
166/2	0.110
166/1	0.110
164	0.090
165/2	0.210
146	0.500
190	0.129
45	0.180
46/1/1/2	0.100
46/1/2	0.150
62/2/1	0.220
62/1/1	0.230
59/1/1/2	0.200
59/1/2/1	0.060
59/2/2	0.100
59/3	0.060
59/1/3	0.100
59/2/1	0.160
4/2/1/1/1	0.230
4/1/ख	0.110

(1)	(2)
4/1/क	0.140
3/2/क/1	0.120
3/2/क/2	0.120
3/1/क	0.230
2/2ख/2	0.130
2/2क	0.130
2/1	0.360
96/2	0.376
244 245/6	0.220
96/1	0.250
94/1	0.200
98/2	0.100
46/1/3	0.130
93/1 94/2	0.190
91	0.196
87/2 88/1	0.500
86/2 87/2	0.350
86/1/2	0.110
85/4	0.370
86/1/1/2	0.180
85/1	0.060
76/2	0.600
76/1	0.050
206/1	0.011
योग :	21.723

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 145000 मी. से निकलने वाली डी. व्हाय 16 की आर. डी. 0 से 6830 मी. तथा उसकी माईनरों एवं 145675 मी. से निकलने वाली डी. एम. 73 की आर. डी. 0 से 7070 मी. के बीच नहर निर्माण हेतु.

(3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 21 अप्रैल 2011

क्र. 6749-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (पाड़ल्याखेड़ी तालाब की नहर एवं डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित निजी भूमि कार्य) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—राजगढ़
(ग) ग्राम—कल्पोनी, पाड़ल्याखेड़ी, रसुलपुरा एवं बखेड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल—41.151 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
नहर में प्रभावित भूमि—	
ग्राम—कल्पोनी, क्षेत्रफल 7.675 हेक्टेयर	
30/1	0.250
31	0.300
35	0.200
30/2	0.250
36/2	0.100
46	0.160
34	0.280
50/3	0.200
50/7	0.080
50/5	0.080
49/2	0.080
49/3	0.080
50/6	0.080
50/8	0.080
49/1	0.080
53	0.200
54/4	0.120
208/1/4	0.375
208/3/3	0.450

(1)	(2)
211/1/2	0.075
211/2/1	0.075
291/2	0.029
292/2	0.051
63/1	0.350
63/2	0.170
212	0.100
216/1	0.050
286/1	0.100
286/2	0.100
287/2	0.280
291/3/2	0.010
292/3/1	0.040
291/3/1	0.010
291/1/1	0.015
294/3/1	0.140
291/1/2	0.016
294/3/2	0.140
291/3/3	0.010
292/3/2	0.078
294/4	0.140
292/1	0.051
295	0.190
315	0.600
443/1/1	0.250
443/1/1/1	0.140
443/1/2	0.140
443/1/3	0.140
443/1/4	0.140
444	0.300
454/2	0.300
योग :	7.675

बांध के डूब में शेष बची प्रभावित भूमि—

ग्राम—पाल्ड़याखेड़ी, क्षेत्रफल 71.427 हेक्टेयर

757/2	0.253
816/7	0.250
816/6	0.250
816/5	0.200
816/4	0.300
760/2	0.174
योग :	1.427

ग्राम—कल्पोनी, क्षेत्रफल 9.020 हेक्टेयर

406/2/1	0.118
413/3/1	0.170
436/4/1	0.107
406/2/2	0.079
413/3/2	0.170
436/4/2	0.107
406/2/3	0.079
413/3/3	0.170
436/4/3	0.108
391	0.446
392	0.065
406/1	0.316
406/2/4/1	0.014
413/3/4/1	0.056
436/4/1	0.036
406/2/4/2	0.006
413/3/4/2	0.029
436/4/4/2	0.018
406/2/4/3	0.020
413/3/4/3	0.085
436/4/4/3	0.054
440/4/4/3	0.057
751/1	0.153
751/11	0.961
751/2	0.153
751/10	0.961
751/3	0.153
751/9	0.961
751/4	0.203
751/5	0.203
751/6	0.200
751/7	0.203
751/8	0.695

(1)	(2)
430/3/3	0.188
430/3/2	0.187
703/3	0.013
707/3	0.101
707/1	0.114
703/1	0.013
707/2	0.101
454/1/1	0.150
670/1	0.117
670/2	0.051
670/3	0.089
695/4	0.065
695/3	0.066
695/2	0.066
695/1	0.066
434/1	0.148
439/2	0.329
योग :	9.020

ग्राम—रसुलपुरा, क्षेत्रफल 13.663 हेक्टेयर

324/2	0.316
579/7	0.101
579/6/1	0.291
615/1/2	0.247
615/1/3	0.657
582/2	0.051
609/2	0.339
579/5	0.379
579/6/2	0.190
585	0.080
297/3	0.073
250	0.103
548	0.013
583/2	0.070
582/1/3	0.013
609/1/1	0.084
609/1/3	0.084
270/1/2	0.452
582/1/2	0.013
582/1/1	0.013
258	0.102
609/1/4	0.084
270/1/3	0.452
609/1/2	0.084
582/1/4	0.013
613/1/4	0.060
346	0.253
567	0.742
566	0.101
560	2.276
559	1.101
322	0.063
547	1.000
545	0.139
565/3	0.493
289/1	0.151
326	0.152
262	0.785
541/2	0.101
340/1	0.010
338/1	0.040
270/1/4	0.452
583/1	0.069
584/1	0.050
615/1/4	0.065
348/2/2	0.027
249	0.150
260/2	0.117
261	0.088
321	0.266
615/2	0.558
354/3	0.050
योग :	13.663

ग्राम—बखेड़, क्षेत्रफल 9.366 हेक्टेयर

26/2	0.045
10/1238/3/3	0.063
268/1	0.304
27/1	0.404

(1)	(2)
56/1/3/2	0.069
69/2	0.948
257/1	0.068
32	0.159
55	0.316
429	0.020
425	0.041
269	1.101
282	0.342
283	0.152
263	0.076
306	0.020
307	0.030
207	0.152
186	0.800
176	0.072
1539	0.051
73/2	0.216
70	0.109
1513	0.089
1463/1	0.051
72	0.111
1525	0.111
247	0.111
1449/1	0.065
37/1	0.050
289	0.063
35	0.300
190/2	0.065
45/11	0.306
36/2	0.336
36/1	0.100
291	0.101
292	0.101
44/2	0.101
73/1	0.365
190/3	0.331
10/2238/3/1	0.114
29/1	0.469
29/2	0.313
29/3	0.076
254/1	0.016
10/2238/3/2	0.063
योग :	9.366

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—पाड़ल्याखेड़ी तालाब की नहर एवं डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित निजी भूमि कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. 6945-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—सारंगपुर
(ग) नगर/ग्राम—मूंडलालोधा, घोसला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.506, 5.903 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—मूंडलालोधा	
451/1	0.100
451/2	0.100
462/7/1	0.400
462/7/2	0.570
463/1	0.100
464/2	0.107
466/2	0.180
475/1/7	0.400
477/6/1	0.506

(1)	(2)
480	0.050
481/1	0.138
481/2	0.291
483/1/7	0.100
483/1/8	0.200
483/1/9	0.260
483/1/10	0.316
483/1/11	0.239
483/1/12	0.297
483/1/13	0.297
483/1/14	0.298
483/1/15	0.379
483/1/18	0.306
483/1/21	0.379
4/3/126	0.417
483/1/28	0.458
483/1/29	0.304
483/1/30	0.303
483/1/34	0.253
502	0.200
560	0.065
561	0.036
562	0.024
564	0.113
565	0.138
618/2/4	0.039
628	0.207
630	0.113
631	0.101
632	0.049
634/1	0.044
634/2	0.146
635	0.036
721	0.150
738/1/2	0.285
738/1/1/3	0.200
738/1/4	0.150
738/2/2/6/1	0.247
738/2/6/2	0.285
739	0.130
योग . .	10.506

ग्राम—घोसला

220/1	1.050
220/2	0.450
221	0.160
222/1/1	0.040
222/1/2	0.050
222/2	0.050
223	0.240
224	0.250
232	0.092
233	0.190
238	0.090
239/1/1	0.222
239/1/2	0.290
239/2	0.038
248/1	0.253
248/3	0.100
258/2	0.051
259/1/1	0.200
261/1	0.196
261/2	0.196
269	0.038
287/1	0.059
371/1	0.125
371/2/1	0.100
371/2/2	0.113
371/2/3	0.088
371/3	0.126
374	0.089
375/1/1	0.401
376/1	0.139
376/2	0.012
380/1	0.040
380/2	0.050
383/1	0.040
384	0.175
394	0.100
योग . .	5.903

क्र. 6949-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—सारंगपुर
(ग) नगर/ग्राम—मूंडलालोधा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.475 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—मूंडलालोधा (नहर)	
97/1	0.240
97/2/1/3	0.135
97/2/1/4	0.140
97/2/1/5	0.140
97/7	0.270
98/2	0.080
463/1	0.250
468	0.070
474	0.150
योग . .	1.475

राजगढ़, दिनांक 28 अप्रैल 2011

क्र. 7066-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) ग्राम—आमडोर, तुमड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.808 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—आमडोर	
138	0.030
173/2	0.065
141/1	0.010
142/2/1	0.041
142/1	0.063
201/1/3	0.253
172/2	0.068
173/1	0.085
174/1	0.040
178	0.045
180	0.098
232/2	0.105
229	0.110
244/1/1/2	0.060
228/2/2	0.130
227/3	0.022
227/4	0.023
227/5	0.045
206	0.035
199/1/1	0.051
योग . .	1.379
ग्राम—तुमड़िया	
28	0.300
26/1/2	0.086
26/1/1/1	0.110
26/1/1/2	0.123
26/1/1/3	0.123
34/2	0.150
91/1	0.030
91/2	0.030
91/4	0.240
97/1/1	0.100
89/1	0.033
89/2	0.034

(1)	(2)
97/1/2	0.013
89/3	0.033
27/1	0.024
योग . .	1.429
कुल योग . .	2.808

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—लखनवास से तुमड़िया मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7073-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं संपत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) ग्राम—बगवाज, पाड़लीगुसाई, सीलखेड़ा
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—2.520 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—बगवाज	
483	0.050
484	0.014
395/3	0.013
459/115	0.017
459/114	0.017
459/1/2	0.020
459/1/1	0.012
459/1/3	0.017
योग . .	0.160

(1)	(2)
ग्राम—पाड़लीगुसाई	
12	0.040
18	0.063
19/1	0.004
19/2	0.004
20/2/4	0.056
17/1 1/1	0.030
17/1 1/2	0.030
16/1/2	0.035
31/1 1/2	0.040
31/1/2	0.020
31/1 1/1	0.039
31/2/2	0.018
32/2/1	0.014
32/2/2	0.035
32/2/4	0.035
32/2/5	0.060
40/4	0.030
45/3	0.101
296/45	0.036
43	0.036
44	0.072
41/3	0.026
31/2/1	0.020
32/1	0.200
15	0.042
16/1/1	0.045
45/2	0.013
331/195	0.032
195/10/2	0.020
304/195/4	0.034
304/195/2	0.039
195/23	0.065
330/191/1	0.020
195/10/2	0.076
279/195	0.051
197/1/2	0.042
197/2/1	0.042
197/1/1	0.065
195/5	0.039

(1)	(2)
195/22	0.075
195/21	0.045
195/12 1/3	0.051
195/12 1/2	0.026
195/11	0.075
योग . .	2.246

ग्राम—सीलखेड़ा

126/1/6	0.114
योग . .	0.114
कुल योग . .	2.520

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बगवाज, पाड़लीगुसाई,सीलखेड़ा, कड़ियाहाट मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7077-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) ग्राम—भाटखेड़ी, भिलवाड़िया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.611 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—भाटखेड़ी	
390/2/1	0.018
390/2/2	0.012
390/2/3	0.012
390/2/4	0.015
390/2/5	0.015
392/1	0.010
399/2/1	0.025
399/2/2	0.025
400/1	0.010
464/3	0.010
561/1	0.009
464/2/1	0.012
464/2/2/2	0.010
464/1/2/2	0.011
463/1	0.025
458/1	0.011
248	0.012
229	0.006
242	0.036
246	0.010
245	0.007
244	0.030
243	0.010
254	0.025
योग . .	0.366
ग्राम—भिलवाड़िया	
22	0.015
23	0.005
460/2/1/1	0.005
421/2	0.004
91/2/1	0.010
459/3	0.010
459/2	0.012
24/1	0.004
24/2	0.006
458	0.006
26/2	0.004
455/1	0.005
26/1	0.004
26/3	0.004
27/2	0.006
455/2/1	0.005
455/2/2	0.008
28/1	0.006
28/2	0.005

(1)	(2)
28/3	0.006
447/3/1	0.008
447/3/2	0.003
436/1	0.002
436/4	0.004
91/3	0.010
436/2	0.002
436/3	0.004
91/4	0.025
433/1/1	0.003
433/3	0.003
421/1	0.002
421/3	0.002
433/1/2	0.005
95/1	0.005
102/2	0.003
103/1	0.006
95/2	0.005
421/4	0.005
91/1	0.008
91/5	0.010
योग . .	0.245
कुल योग . .	0.611

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भाटखेड़ी से भिलवाड़िया मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7079-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) ग्राम—झरखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.903 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
530/2	0.026
530/1	0.026
168/2	0.006
534	0.134
576/1	0.075
168/1	0.006
576/2	0.020
168/3	0.006
574/2	0.172
168/4	0.006
574/1	0.136
536/1	0.020
535/1	0.007
536/2	0.064
536/3	0.024
535/2	0.007
619/1	0.068
169/1	0.020
617/2	0.080
योग . .	0.903

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—झरखेड़ा से पाड़ली महाराज मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभगीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 7081-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) ग्राम—भगोरा, मानकी, पीपल्याखेड़ी, बेलांस

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.000 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—भगोरा	
58	0.040
59	0.035
52/1	0.108
50/1	0.063
48	0.068
46	0.048
45/1/2	0.045
52/2	0.046
45/1/1	0.035
52/3	0.046
30	0.023
31/3	0.024
29	0.028
285	0.037
327/26/1	0.010
24	0.012
23/4	0.024
287/22	0.009
22	0.009
131	0.008
27/1	0.017
6/1	0.022
6/2	0.070
योग . .	0.827
ग्राम—मानकी	
490/282/1	0.040
488/272	0.054
290	0.051
293/3/1	0.081
292/1	0.148
289/2	0.100
292/2	0.177
(1)	(2)
481/282	0.069
457/282	0.038
408/282/2	0.024
282/7	0.024
285	0.067
286/2	0.029
294	0.110
293/2	0.036
422/282	0.069
505/282	0.033
530/272	0.057
531/272	0.084
486/272	0.012
487/272	0.054
490/282/2	0.015
योग . .	1.372
ग्राम—पीपल्याखेड़ी	
206	0.078
208	0.036
176/3	0.091
202/2/1	0.024
योग . .	0.229
ग्राम—बेलांस	
597	0.216
637/13	0.063
600	0.163
637/3	0.078
917/637	0.053
योग . .	0.0573

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गिदोरहाट, भगोरा, मानकी, पीपल्याखेड़ी, बेलांस मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा एवं भू-अर्जन अधिकारी, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र.1175-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. .... अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—गुणावद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.12 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
निजी भूमि	
160	0.50
167	0.15
289	0.10
757	0.10
764	0.40
827	0.28
988	0.09
989	0.02
1024	0.20
1025	0.14
1618/1	0.07
1619	0.07
योग . .	2.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए आवश्यकता है—माही परियोजना की पीथापाड़ा माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.1178-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. .... अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—गुणावद (केलकुई)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.09 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
निजी भूमि	
922	0.07
923	0.04
924	0.04
925	0.17
927	0.10
932	0.35
933	0.30
1699	0.11
1700	0.03
1701	0.15
1703	0.27
1704	0.02
1770	0.10
1771	0.17
1775/1	0.17
योग . .	2.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए आवश्यकता है—माही परियोजना की केलकुई माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.1180-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र. .... अ-82-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद

(ग) ग्राम—करवड़

(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.69 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
निजी भूमि	
1442	0.18
1450	0.18
1468	0.33
1487	0.33
1490	0.07
1489	0.24
1495	0.28
1496	0.24
1500	0.05
1502	0.02
1503	0.10
1506	0.32
1504	0.60
1791	0.40
1792	0.10
1775	0.40
1776/1	0.13
1776/2	0.22
1772	0.20
1771	0.27
1608	0.20
1611	0.16
1612	0.34
1613	0.01
1614	0.22
1765	0.06
1764	0.38
1763	0.20
1762	0.30
1758	0.11
1759/1	0.34
1759/2	0.05
1735	0.30
1736	0.13
1737	0.04
1734	0.05
1154/2	0.18
1153	0.12
1150	0.03
1152	0.11
1151	0.19
1111	0.05
1148	0.05
1147	0.05
1144	0.26
1145	0.03
1142	0.05
1139	0.30
1136	0.20
1137	0.14
1120	0.20
1122	0.05
1124/1	0.06
1124/2	0.06
1125	0.20
1126	0.15
योग . .	14.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके के लिए आवश्यकता है—माही परियोजना की करवड़ माईनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र. 3592-10-11-प्र. क्र. 3-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न भूमि निम्नानुसार प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन

(ख) तहसील—रायसेन

(ग) ग्राम—संग्रामपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.193 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—संग्रामपुर	
161/1	0.132
149	0.080
285	0.060
योग . .	0.272
160	0.128
122/5	0.160
योग . .	0.288
164/2	0.280
163/1/2	0.120
योग . .	0.400
167	0.080
163/2/1	0.228
योग . .	0.308
166/1	0.048
165/2	0.190
151/2/1	0.090
योग . .	0.328
122/4	0.040
148/2	0.080
योग . .	0.120
128	0.016
77/1	0.096
योग . .	0.112
129	0.124
131	0.112
139	0.168
योग . .	0.404
151/2/2	0.096
152/1	0.106
योग . .	0.202
114/2	0.090
116	0.018
योग . .	0.108
118	0.036
53	0.066
योग . .	0.102
61/2/1	0.015
68/1	0.060
66/1	0.048
63/2	0.048
योग . .	0.171
65/2/2	0.015
68/2	0.018
योग . .	0.033
46	0.030
47	0.030
योग . .	0.060
142/2	0.096
127	0.036
योग . .	0.132
162/2	0.144
310	0.300
योग . .	0.444
311/3	0.705
311/1	0.160
161/318/1	0.280
164/1	0.096
165/1	0.304
311/2	0.708
148/1	0.280
121/1	0.200
142/1	0.204
126	0.080
312	0.203
313	0.927
121/2	0.080
162/1	0.144
151/1	0.120
152/2	0.192
152/3	0.090
309	0.140

(1)	(2)
299	0.172
269/1/10	0.060
269/1/9	0.064
269/1/8	0.100
269/1/7	0.020
271/1	0.024
270	0.220
289/1/1	0.064
289/2	0.120
290/1	0.060
291	0.064
287	0.064
163/2/2	0.020
168/1	0.120
114/3	0.090
114/1	0.084
71	0.114
74/2	0.072
63/1	0.042
63/3	0.048
54	0.030
50	0.048
45/1	0.192
36	0.348
कुल योग . .	10.637

ग्राम—अंडोल

59/1	0.054
61/1	0.042
योग . .	0.096
52/2	0.240
64/1/1	0.120
योग . .	0.360
185/2/1	0.018
185/1	0.150
184/3	0.072
183/1	0.168
183/2/1	0.088
183/2/2	0.088
57/2/2	0.045
57/3	0.042
57/2/1	0.045
58	0.120
64/1/2	0.170
37	0.210
36	0.120
30/1	0.030
30/2	0.120
31	0.350
32	0.240
कुल योग . .	2.532

ग्राम—मिर्जापुर पाली

258	0.090
256	0.042
योग . .	0.132
274	0.130
266/3	0.156
266/2	0.136
266/1	0.174
262	0.210
254/1	0.036
257	0.066
259	0.048
कुल योग . .	1.088

ग्राम—मुरैल कलां

316	0.024
311	0.090
306	0.060
योग . .	0.174
315	0.360
310/2	0.018
310/1	0.108
298/2/2	0.096
298/3	0.180
कुल योग . .	0.936
महायोग . .	15.193

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संग्रामपुर सिंचाई योजना तालाब की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 अप्रैल 2011

क्र. 599-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) ग्राम—मगरवार कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.728 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
20	0.243
22	0.094
24	0.223
26	0.003
25	0.003
65	0.064
66	0.016
67	0.007
68	0.274
69	0.039
23	0.118
27	0.125
29	0.227
60	0.094
59	0.102
58	0.172
61	0.003
73	0.118
74	0.125
75	0.094
76	0.078
79	0.133
80	0.031
81	0.125
82	0.003
147	0.071
156	0.047
157	0.180
163	0.125
164	0.078
165	0.125
176	0.133
175	0.165
174	0.133
173	0.063
171	0.094
योग . .	3.728

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर . . . . . के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 601-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बघेलान
(ग) नगर/ग्राम—देवरी वृत्त
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.401 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
271	0.031
272	0.043

(1)	(2)
485	0.021
270	0.049
484	0.021
275	0.004
276	0.063
281	0.047
282	0.077
289	0.071
304	0.188
299	0.086
301	0.095
300	0.016
327	0.016
328	0.039
331	0.086
333	0.095
335	0.016
336	0.006
337	0.063
338	0.006
339	0.006
340	0.055
343	0.133
342	0.016
208	0.044
355	0.016
354	0.016
356	0.016
357	0.006
199	0.078
198	0.086
196	0.016
192	0.125
193	0.016
195	0.071
194	0.009
128	0.102
187	0.023
188	0.012
183	0.009
184	0.086
186	0.006
182	0.078
171	0.001
172	0.019
173	0.031
174	0.102
175	0.063
176	0.055
179	0.003
436	0.016
435	0.060
437	0.039
438	0.110
431	0.408
465	0.024
477	0.024
428	0.188
427	0.047
479	0.001
480	0.007
481	0.039
योग . .	3.401

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा नहर . . . . . के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र. 603-भू-अर्जन-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—कठेरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.070 हेक्टर.

पुनरीक्षित प्रकाशन

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
425	0.034
429	0.036
योग . .	0.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 605-प्रशा.-भू-अर्जन-2006-07.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर/मनगंवा

(ग) ग्राम—देवरा-66

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.486 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
550/1	0.280
550/2	0.206
योग . .	0.486

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के अन्तर्गत में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 607-भू-अर्जन-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—रौरा पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.082 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
187	0.082
योग . .	0.082

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 609-भू-अर्जन-07-08.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—रौरा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—अर्जित रकबा 0.023 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
908	0.023
योग . .	0.023

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 611-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—पड़री पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.409 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
150	0.444
151	0.318
152	0.194
154	0.156
155	0.084
165	0.244
166	0.103
167	0.019
172	0.049
173	0.129
182	0.232
183	0.054
184	0.018
284	0.020
285	0.020
286	0.051
289	0.062
291	0.056
292	0.100
296	0.079
298	0.266
300	0.010
311	0.038
313	0.121
314	0.055
315	0.075
316	0.118
1301	0.040
1302	0.130
1310	0.110
1322	0.012
1323	0.072
1324	0.011
1325	0.087
1357	0.127
1356	0.015
1370	0.207
1371	0.008
1374	0.110
1388	0.099
1389	0.091
1390	0.009
1391	0.016
1392	0.022
1393	0.096
1403	0.105
1404	0.050
1406	0.014
1408	0.131
1407	0.032
1431/1	0.015
1438	0.097
1439	0.004
1480	0.041
1481	0.038

(1)	(2)
1482	0.061
1483	0.057
1484	0.017
1485	0.048
1494	0.172
1495	0.010
1496	0.118
1497	0.070
1499	0.030
1500	0.050
1501	0.048
1502	0.070
1649	0.004
1651	0.200
1652	0.104
1654	0.108
1656	0.028
1657	0.112
1661	0.216
1691	0.007
1692	0.046
1693	0.010
1694	0.098
1695	0.099
1738	0.081
1739	0.032
1759	0.025
1760	0.010
1761	0.159
1764	0.004
1769	0.080
1770	0.015
1774	0.115
1857	0.137
1858	0.326
1859	0.024
2095	0.130
2096	0.140
2102	0.002
2103	0.090
2104	0.190
2110	0.238
2115	0.114
2116	0.435
2215	0.096
योग . .	9.166

शासकीय भूमि

295	0.030
312	0.025
1619	0.013
1643	0.115
1742	0.040
1862	0.020
योग . .	0.243
कुल योग . .	9.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत मरैला माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 613-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—सेमरा-557
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.569 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
158	0.014
197	0.028

(1)	(2)
198	0.064
199	0.022
200	0.129
201	0.080
202	0.144
203	0.096
204	0.134
212	0.099
213	0.230
490	0.035
493	0.256
494	0.035
495	0.128
496	0.145
503	0.002
505	0.120
506	0.160
507	0.104
508	0.176
509	0.176
516	0.121
517	0.086
519	0.116
520	0.049
523	0.050
524	0.056
648	0.324
671	0.896
690	0.064
691	0.036
692	0.0180
693	0.0120
694	0.095
700	0.013
702	0.320
703	0.038
705	0.040
707	0.144
722	0.216
723	0.016
724	0.176
726	0.036
कुल योग . .	5.569

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 615-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—मुड़ियारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.466 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
273	0.253
300	0.009
301	0.091
305	0.137
306	0.016
309	0.150
310	0.053
315	0.070
316	0.184
319	0.070
320	0.064
321	0.070
324	0.070
325	0.161
326	0.177
330	0.038
331	0.064
332	0.096
402	0.010
403	0.040

(1)	(2)
404	0.008
405	0.104
411	0.029
412	0.179
414	0.096
415	0.126
418	0.200
419	0.158
471	0.036
472	0.149
473	0.008
474	0.180
478	0.008
479	0.201
502	0.158
505	0.003
योग . .	3.466

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका, की मुडियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 617-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—लभौली (585)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.403 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
189	0.187
190	0.158
191	0.158
192	0.118
193	0.108
194	0.108
195	0.202
209	0.162
210	0.084
211	0.100
292	0.036
293	0.050
294	0.061
295	0.068
296	0.288
297	0.019
298	0.020
299	0.082
330	0.070
333	0.079
334	0.058
335	0.097
336	0.288
337	0.014
339	0.008
340	0.007
352	0.122
358	0.136
359	0.036
360	0.129
361	0.050
369	0.014
381	0.216
योग . .	3.333

मध्यप्रदेश शासन

331	0.070
महायोग . .	3.403

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका, की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 619-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—पड़री पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.318 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
162	0.326
163	0.022
173	0.130
438	0.225
439	0.075
440	0.030
466	0.018
467	0.057
469	0.090
470	0.069
471	0.045
472	0.090
476	0.195
492	0.084
495	0.120
496	0.120
499	0.045
500	0.030
501	0.015
504	0.105
505	0.180
551	0.162
554	0.036
555	0.034
649	0.065
650	0.062
651	0.052
652	0.064
659	0.004
662	0.042
663	0.068
664	0.006
666	0.051
674	0.090
681	0.075
684	0.210
685	0.024
746	0.132
747	0.048
748	0.033
749	0.018
751	0.013
752	0.090
754	0.105
767	0.098
768	0.039
769	0.014
770	0.153
799	0.008
800	0.017
801	0.202
803	0.060
804	0.014
810	0.088
918	0.062
919	0.009
920	0.101
922	0.057
923	0.029
924	0.042
928	0.138
929	0.015
930	0.015
931	0.003
932	0.060
936	0.252
942	0.084
944	0.012
948	0.198
1044	0.018
1045	0.030

(1)	(2)
1046	0.052
1062	0.047
1063	0.020
1066	0.027
1069	0.170
1437	0.037
1439	0.093
1440	0.024
1441	0.033
1442	0.090
1443	0.010
1445	0.015
1447	0.045
1448	0.030
1449	0.014
1463	0.082
1464	0.017
1465	0.029
1461	0.110
योग . .	6.318

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के अन्तर्गत मरैला कोठार माइनर की सब-माइनर नं. 1 एवं 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 621-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—सगोना कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.926 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13	0.103
14	0.006
15	0.194
16	0.130
17	0.070
18	0.486
21	0.040
22	0.109
23	0.304
24	0.045
25	0.300
26	0.030
27	0.024
141	0.085
योग . .	1.926

मध्यप्रदेश शासन

0	0
महायोग . .	1.926

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका, की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 623-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—खैर-111
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.317 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
513	0.020
515	0.070
516	0.070
517	0.066
519	0.020
522	0.161
523	0.024
524	0.074
525	0.006
910	0.078
912	0.130
913	0.040
914	0.033
915	0.151
916	0.100
917	0.056
918	0.020
925	0.006
926	0.012
930	0.021
931	0.120
932	0.021
935	0.139
936	0.136
941	0.044
942	0.180
943	0.076
951	0.067
952	0.114
958	0.050
959	0.212
योग . .	2.317

मध्यप्रदेश शासन

निल	निल
महायोग . .	2.317

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 625–भू–अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू–अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—सपहा कोठार 530

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.103 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.08
2	0.08
3	0.056
31	0.009
58	0.008
59	0.038
60	0.078
61	0.056
62	0.048
63	0.068
67	0.072
68	0.056
79	0.016
80	0.328
81	0.041
82	0.042
83	0.027
योग . .	1.103

मध्यप्रदेश शासन

निल	निल
महायोग . .	1.103

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 627-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—करिया 55

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.459 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
674	0.125
676	0.017
677	0.094
678	0.072
679	0.014
687	0.066
688	0.146
690	0.04
692	0.096
694	0.113
695	0.112
696	0.046
835	0.004
836	0.039
837	0.296
838	0.056
870	0.064
योग . .	1.400
शासकीय— मध्यप्रदेश शासन	
689	0.019
693	0.040
महायोग . .	1.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की दुलहरा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 629-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—बेलवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.488 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
278	0.032
279	0.038
280	0.013
281	0.077
282	0.046
283	0.056
285	0.034
295	0.139
296	0.057
297	0.048
300	0.125
301	0.056
304	0.015
306	0.060
307	0.052
308	0.035
309	0.064
310	0.012
311	0.088
321	0.032
337	0.064
338	0.344
339	0.036
390	0.013

(1)	(2)
391	0.022
392	0.029
393	0.032
396	0.016
412	0.144
414	0.064
415	0.010
416	0.045
449	0.383
458	0.160
459	0.148
460	0.025
470	0.219
471	0.010
524	0.034
526	0.200
529	0.147
530	0.051
533	0.261
534	0.132
536	0.048
537	0.182
538	0.129
539	0.005
540	0.056
874	0.332
875	0.048
योग . .	4.468
शासकीय	
288	0.020
महायोग . .	4.488

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी मुख्य नहर की सिरमौर वितरिका की मुड़ियारी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 641-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—फरहत कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.246 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59	0.101
60	0.089
61	0.097
74	0.025
76	0.093
78	0.142
79	0.162
103	0.109
104	0.202
135	0.299
141	0.005
142	0.246
143	0.194
144	0.169
145	0.092
155	0.101
329	0.120
योग . .	2.246

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 643-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—रिमारी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.588 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
434	0.347
435	0.150
436	0.150
437	0.320
449	0.202
450	0.230
489	0.303
547	0.194
550	0.004
551	0.012
552	0.042
553	0.042
554	0.049
555	0.049
556	0.016
559	0.140
560	0.320
583	0.048
586	0.041
587	0.028
588	0.061
589	0.072
594	0.021
595	0.114
596	0.445
702	0.320
703	0.036
704	0.058
715	0.240
717	0.248
718	0.048
719	0.408
720	0.024
722	0.020
723	0.050
724	0.208
738	0.032
739	0.101
740	0.120
741	0.101
742	0.072
743	0.140
746	0.088
747	0.120
748	0.081
749	0.072
750	0.081
816	0.008
820	0.016
821	0.088
822	0.160
823	0.088
824	0.160
योग . .	6.588

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 645-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—पथरी पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.823 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.280
4	0.113
5	0.016
64	0.445
65	0.121
66	0.210
67	0.025
68	0.170
120	0.242
122	0.028
123	0.028
124	0.121
125	0.069
186	0.020
187	0.072
188	0.097
189	0.097
190	0.120
216	0.049
220	0.097
222	0.057
223	0.048
224	0.120
225	0.097
401	0.113
516	0.405
521	0.032
522	0.021
528	0.323
529	0.161
530	0.004
585	0.242
586	0.057
595	0.057
596	0.081
598	0.089
599	0.032
600	0.004
601	0.218
612	0.242
योग . .	4.823

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 647-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—नकटा पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.971 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43	0.081
45	0.242
48	0.121
53	0.057
54	0.073
55	0.004
56	0.057
57	0.028
58	0.093
116	0.061
117	0.065
118	0.089
योग . .	0.971

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रिमारी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्र.-भू-अर्जन-34(अ-82)2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—डिण्डौरी
(ग) ग्राम—तरेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.90 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
30	0.27
31	0.50
32	0.78
34	0.47
35/2	0.60
35/3	0.54
35/4	0.90
35/5	0.42
35/6	0.20
35/7	0.02
35/8	0.07
35/9	0.07
35/10	0.02
35/11	0.04
योग . .	4.90

शासकीय भूमि

33 नाला	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बार्डर चैक पोस्ट निर्माण ग्राम तरेरा, ग्रा.पंचा. रामनगर, वि.ख. करंजिया के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 2 मई 2011

प्र. क्र. 73-भू.अ.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) से उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम बन्दोबस्त प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	बरही	बुजबुजा न.बं. 288 प.ह.नं. 08	237.22	असिस्टेंट वाइस प्रसिडेन्ट वेल्सपन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड	थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट
		योग . .	237.22		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, विजयराघवगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 74-भू.अ.अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) से उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम बन्दोबस्त प.ह.नं.	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	विजयराघवगढ़	डोकरिया न.बं. 286 प.ह.नं. 30	249.40	असिस्टेंट वाइस प्रसिडेन्ट वेल्सपन एनर्जी मध्यप्रदेश लिमिटेड	थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट
		योग . .	249.40		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, विजयराघवगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.